न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– उमर दीन खान
आई.ए.एस.

अपील संख्या 69/2021

विजयसिंह पुत्र श्री रामकुमार, जाति जाट, निवासी ग्राम रसोडा, तहसील व जिला झुंझुनूं।

—— अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए नायब तहसीलदार मण्डावा, जिला झुंझुनूं।

—— रेस्पोडेन्ट

——

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 प्रथम अपील खिलाफ आदेश बअदालत नायब तहसीलदार मण्डावा, जिला झुंझुनू मुकदना उनवानी सरकार बनाम रामकुमार, मुकदमा नं0 123/2017 द्वितीय आदेश दिनांक 27.07.2021

——

उपस्थितः–

1. श्री राजेन्द्र बुडानिया, एडवोकेट– अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक– रेस्पोडेन्ट की ओर

आदेश

दिनांक 13.12.2021

उक्त विषयक अपील नायब तहसीलदार मण्डावा के निर्णय दिनांक 27.07.2021 के विरूद्व मय प्रा0प0 दफा 5 मि0अ0 एवं प्रा0प0 स्थगन के पेश की गई है। प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0अ0 पर बहस सुनी गई। अपील का निर्णय गुणावगुण के आधार पर करने की दृष्टि से प्रा0प0 दफा 5 मि0अ0 स्वीकार किया जाता है। अपील अपीलान्ट के अनुसार अदालत हाजा ने प्रकरण सं0 79/2016 उनवानी सरकार बनाम रामकुमार वगैरह अ0धा0 91 एल0आर0एक्ट 1956 के तहत दर्ज प्रकरण के आदेश दिनांक 06.04.2017 की अपील अदालत हाजा में प्रस्तुत होने पर अदालत हाजा द्वारा प्रकरण को अदालत मातहत को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया था कि पत्रावली में प्रस्तुत पट्टे की वैधता तथा पट्टे धारा 91 के प्रकरण में वर्णित क्षेत्र का है या नही तथा अपीलान्ट को पुनः समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करने के निर्देश पर पुनः दर्ज रजिस्टर होकर अदालत मातहत द्वारा पुनः अपीलान्ट को जमीन खसरा नं0 147 कुल रकबा 4.35 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन बणी सरहद ग्राम रसोडा तहसील झुंझुनूं में से रकबा 0.08 हैक्टर भूमि पर अतिक्रमी घोषित कर बेदखल करने व 8 रूपये के अर्थ दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया। उक्त आदेश से व्यथित होकर उक्त अपील अपीलान्ट की ओर से नीचे लिखे अनुसार पेश की जा रही है कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर बहस खिलाफ कानून, न्याय व पत्रावली है। अदालत मातहत में पटवारी हल्का द्वारा पुनः रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। उक्त रिपोर्ट में पटवारी हल्का द्वारा अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत पट्टे की पुश्त पर अंकित चतुर्थ सीमा की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत हुई कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत पट्टा धारा 91 में वर्णित क्षेत्र का ही है। प्रकरण में विवादित तथाकथित अतिकमण की भूमि बाबत गैरसायल द्वारा राजस्व विभाग का राजस्व दस्तावेज खसरा परिवर्तित निर्धारण तथा गैर मुस्तकिल काश्त सम्वत 2046 सन् 1989 प्रस्तुत किया गया था। अदालत मातहत द्वारा उक्त राजस्व दस्तावेज को नजर अंदाज कर उक्त दस्तावेजात पर बिना कोई फाईन्डिंग दिये आदेश जैर पारित किया है। अपीलान्ट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष जबाब प्रस्तुत किया कि अपीलान्ट का परिवार करीब 35 साल पूर्व से प्रकरण में वर्णित भूमि पर परिवार सहित मकान बनाकर आबाद है तथा सन 1975 में ग्राम पंचायत भीमसर में अपीलान्ट के पिता के कब्जे को पुराना मानते हुये पट्टा दिया गया था। इस कारण अपीलान्ट के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम की कार्यवाही निरस्त फरमाई जावे। अदालत मातहत द्वारा अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत जबाब के सम्बन्ध में बिना कोई विवेचना किये व निष्कर्ष निकाले प्रकरण में अपीलान्ट को अतिकमी घोषित

कर बेदखली का आदेश पारित किया गया है। अपीलान्ट किसी भी प्रकार से अतिक्रमी नही है। अपीलान्ट को ग्राम पंचायत भीमसर द्वारा पट्टे जारी किया हुआ है। अपीलान्ट के हक में ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टे के अस्तित्वाधीन रहते हुये अन्तर्गत धारा 91 भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही किया जाना उचित व न्यायोचित नही है। अदालत मातहत द्वारा दिनांक 27.07.2021 को अपीलान्ट को सुने बगैर आदेश जैर बहस पारित किया है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट मंजूर फरमाई जाकर अदालत मातहत के आदेश जैर बहस दिनांक 27.07.2021 को अपास्त किया जावे।

बहस वकील अपीलान्ट सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट् ने बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुए निवेदन किया कि अदालत मातहत में पटवारी हल्का द्वारा पुनः रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। उक्त रिपोर्ट में पटवारी हल्का द्वारा अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत पट्टे की पुश्त पर अंकित चतुर्थ सीमा की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत हुई कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत पट्टा धारा 91 में वर्णित क्षेत्र का ही है। प्रकरण में विवादित तथाकथित अतिक्रमण की भूमि बाबत गैरसायल द्वारा राजस्व विभाग का राजस्व दस्तावेज खसरा परिवर्तित निर्धारण तथा गैर मुस्तकिल काश्त सम्वत 2046 सन् 1989 प्रस्तुत किया गया था। अदालत मातहत द्वारा उक्त राजस्व दस्तावेज को नजर अंदाज कर उक्त दस्तावेजात पर बिना कोई फाईन्डिंग दिये आदेश जैर पारित किया है। अपीलान्ट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष जबाब प्रस्तुत किया कि अपीलान्ट का परिवार करीब 35 साल पूर्व से प्रकरण में वर्णित भूमि पर परिवार सहित मकान बनाकर आबाद है तथा सन 1975 में ग्राम पंचायत भीमसर में अपीलान्ट के पिता के कब्जे को पुराना मानते हुये पट्टा दिया गया था। इस कारण अपीलान्ट के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम की कार्यवाही निरस्त फरमाई जावे। अदालत मातहत द्वारा अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत जबाब के सम्बन्ध में बिना कोई विवेचना किये व निष्कर्ष निकाले प्रकरण में अपीलान्ट को अतिक्रमी घोषित कर बेदखली का आदेश पारित किया गया है। अपीलान्ट किसी भी प्रकार से अतिक्रमी नही है। अपीलान्ट को ग्राम पंचायत भीमसर द्वारा पट्टे जारी किया हुआ है। अपीलान्ट के हक में ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टे के अस्तित्वाधीन रहते हुये अन्तर्गत धारा 91 भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही किया जाना उचित व न्यायोचित नही है। अधीनस्थ अदालत को अपीलान्ट के बाडे का नियमन का आदेश करना चाहिए था। अतः अपील अपीलान्ट मंजूर फरमाई जाकर अदालत मातहत के आदेश जैर बहस दिनांक 27.07.2021 को अपास्त किया जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने वकील अपीलान्ट के कथनों का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि ग्राम रसोडा स्थित विवादित भूमि ख0न0 147 रकबा 4.35 है0 किस्म गै0मु0 बणी मे से 0.08 हैक्टर जो कि सरकारी भूमि है पर अपीलान्ट को अतिक्रमण करने का कोई हक व अधिकार नही है। अदालत मातहत का निर्णय विधिसम्मत है। अतः अपीलान्ट की यह अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस वकील पक्षाकारान पर बगौर मनन किया। प्रकरण में अदालत मातहत ने अपीलान्ट को ग्राम रसोड़ा स्थित भूमि खसरा नम्बर 147 रकबा 4.35 हैक्टयर किस्म गैर मुमकीन बणी में से 0.08 हैक्टर भूमि पर अतिक्रमी माना है। प्रकरण में अहम बिन्दु इस प्रकार से है यथा :–

1. प्रकरण में न्यायालय हाजा द्वारा पूर्व में अपील संख्या 60/17 आदेश दिनांक 09.10.2017 को आदेश पारित कर अदालत मातहत को निर्देशित किया गया था कि "अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत पट्टे के वैधता की बाबत जांच करें तथा यह भी सुनिश्चित करे कि वह पट्टा धारा 91 के प्रकरण में वर्णित क्षेत्र का ही है तथा प्रकरण में पुनः विधिसम्मत् व अपीलान्ट को सुनवाई का समूचित अवसर प्रदान करते हुये निर्णय पारित करें" इस संबंध में अदालत मातहत द्वारा पटवारी हल्का भीमसर से मौके की जांच दिनांक 09.01.2018 करवाई गई, जांच रिपोर्ट के अनुसार अपीलान्ट द्वारा बताये जा रहे पट्टे को सही मानते हुए, अपीलान्ट के कब्जे को प्रकरण में दर्ज अतिक्रमित भूमि में माना है। भूमि खसरा नम्बर 147 रकबा 4.35 हैक्टर की किस्म गैर मुमकीन बणी दर्ज है। इससे यह तथ्य साफ है कि अपीलान्ट को ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया पट्टा दिनांक 25.07.1998 गैर मुमकीन बणी में जारी किया गया है।

A 4/3

2. अपीलान्ट का तर्क यह रहा है कि विवादित आराजी की बाबत ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 25.07.1998 को 1200 वर्गगज का पट्टा अपीलान्ट के पिता नाम से जारी किया गया था। अपीलान्ट पट्टे शुदा भूमि पर काबिज है। प्रकरण में अपीलान्ट जिस भूमि पर अपना कब्जा बता रहा है वह भूमि राजकीय खाते की भूमि है जो गैर मुमकीन बणी के रूप में दर्ज रिकार्ड है। राजकीय भूमि प्रतिबन्धित श्रेणी है जिस पर किसी निजी व्यक्ति द्वारा किये गये कब्जे को वैध नहीं माना जा सकता है। उक्त समस्त तथ्यों के मध्य नजर अपील अपीलान्ट खारिज किया जाना उचित है।

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अपील खारिज होने की स्थिति में स्थगन प्रार्थना पत्र की बाबत अलग से आदेश पारित किये जाने की आवश्यकता नहीं है। रिकार्ड मातहत मय आदेश की प्रति के प्रेषित हो। अदालत मातहत अपने निर्णय अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 13.12.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला कलक्टर झुन्झुनूं
13/12/21

(उमर दीन खान)
जिला कलक्टर,झुंझुनू